Gcms/2025/1116

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

गोविन्द सिंह बनाम तहसीलदार सीकर ग्रामीण

किस्म मुकदमा 131,136LR मु.नं. 600 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा – पत्र	
26/12/2025	प्रार्थीगण गोविन्द सिंह, बाल सिंह, नारायण सिंह पुत्रगण उगम सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम सांवलोदा धायलान तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर द्वारा आवेदन विषयक प्रचलित रास्ते की किस्म परिवर्तन करने बाबत के अनुसार "ग्राम सांवलोदा पुरोहितान तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर में अवस्थित खसरा सं. 1139/226 रकबा 0.0100 हेक्टेयर किस्म बारानी–2, खसरा सं. 1143/226 रकबा 0.0700 हेक्टेयर किस्म बारानी–2, खसरा सं. 1145/225 रकबा 0.0100 हेक्टेयर किस्म जाव किता 3 रकबा 0.0900 हेक्टेयर की खातेदारी गोविन्द सिंह पुत्र उगम सिंह हिस्सा 1/3, नारायण सिंह पुत्र उगम सिंह हिस्सा 1/3 व बाल सिंह पुत्र उगम सिंह हिस्सा 1/3 समस्त जाति राजपूत निवासीगण सांवलोदा धायलान के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। उक्त खसरा नम्बरान की भूमियां हमारे आपसी सहमति बटवारे के दौरान रास्ते हेतु आरक्षित रखी गई थी तथा उक्त भूमि का उपयोग रास्ते हेतु किया जा रहा है व वर्तमान मे सड़क निर्माण व अन्य राजकीय कार्य हेतु उक्त भूमि का किस्म परिवर्तन करवाया जाना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि उक्त प्रचलित रास्ते की राजस्व रिकार्ड में किस्म गैर मुमकिन रास्ता दुरूस्त किया जावें।" उक्त आवेदन के संबंध में तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ./25/3737 दिनांक 03.11.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसका अवलोकन किया गया। जो कि मुताबिक प्रार्थीगण के अनुतोष के अनुसार सही है। अतः मुताबिक तहसीलदार, सीकर ग्रामीण की रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाना उचित है। प्रकरण अ.धारा 131, 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावें। अतः तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ./25/3737 दिनांक 03.11.2025 द्वारा प्रस्तुत उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम सांवलोदा पुरोहितान तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर में अवस्थित खसरा सं. 1139/226 रकबा 0.0100 हेक्टेयर किस्म बारानी–2 के स्थान पर किस्म गै.मु. रास्ता दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। खसरा सं. 1143/226 रकबा 0.0700 हेक्टेयर किस्म बारानी–2 के स्थान पर किस्म गै.मु.रास्ता दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा खसरा सं. 1145/225 रकबा 0.0100 हेक्टेयर किस्म जाव के स्थान पर किस्म गै.मु.रास्ता दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदारान जिम्मेदार होंगे। तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./25/3737 दिनांक 03.11.2025 [illegible] प्रस्तुत रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आदेश का भाग है। [illegible] आदेश सुनाया गया। पालनार्थ तहसीलदार, सीकर ग्रामीण [illegible] लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2026.01.01 12:24:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
धोद, जिला सीकर

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद
जिला–सीकर (राज.)